न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 150/2016

अनवान : –

1. ईशरराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. लाधुराम 3. भजनाराम 4. भागीरथ पि0 रावताराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
5. सजना पत्नी स्व0 रावताराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहरं
6. फुसी 7. श्योकोरी 8. चुन्नी पुत्रीयान रावताराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 26/08/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 2 ता 8 के पिता व पति रावताराम पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर की सम्बत 2012 से पूर्व की 2012 से ही मौजा कानसर तहसील नोहर के ख0न0 229 मीन व 251 मिन में 37–38 बीघा भूमि नोतोड करदा व कब्जा काश्त की भूमि है जिसका वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 के लागु होने के समय से काश्तकार था तथा उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है तथा उक्त भूमि तभी से उसके कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा पैमाइश सम्बत 2020 मे मौका पर पैमाईश कर रावताराम पुत्र तिलोकाराम को पर्चा लगान व पर्चा प्रमाणकन जारी कर दिया था तथा रावताराम पुत्र तिलोकाराम जाट निवासी सुजनसर फौत होने के बाद उसके वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 2 ता 8 के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा वे उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके है।

उपरोक्त भूमि हाल ख0न0 1398 की 10 बीघा 04 बिस्वा ख0न0 1401 की 11 बीघा 09 बिस्वा व ख0न0 1402 की 4 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 1403 की 4 बीघा 07 बिस्वा वाके रोही मौजा कानसर तहसील नोहर में परिवर्तित हो चुकी है। उपरोक्त भूमि हाल ख०न० 1398/1 की 2.08 बीघा, 4. ख0न0 1399 की 8 बीघा ख0न0 1401 की 11 बीघा 09 बिस्वा व खसरा न0 1402 की 4 बीघा 13 बिस्वा ख०न० [illegible] की 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि को तो वादी व उसके भाईयों के नाम खातेदारी दर्ज कर दी [illegible] ख0न0 1398 की [illegible] हैक्ट, वाके रोही मोजा कानसर तहसील नोहर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 2 ता 8 के पिता व पति के नाम खातेदारी दर्ज ना कर कतई गलत बिना अधिकार वादग्रस्त भूमि गैरखातेदारी दर्ज कर दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:18:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जिससे वादी व तरतीबी प्रतिवादी स० 2 ता 8 के खातेदारी हकुक का हनन होता है और जिससे वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 2 ता 8 अपने खातेदारी हकुक की घोषणा करवाकर जमाबन्दी दुरूस्त करा वादग्रस्त भूमि बजाय गैरखातेदारी के बतौर खातेदार काश्तकार अपने नाम दर्ज कराने के मजाज है तथा यही बिनाय दावा है। वादग्रस्त भूमि 58–60 सालो से पहले वादी के पिता रावताराम पुत्र तिलोकाराम के कब्जा काश्त में चली आयी तथा उसके फौत होने के बाद वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 2 ता 8 के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा वे प्रतिकुल कब्जा के आधार पर खातेदार काश्तकार हो चुके है इसलिए वादी व तरतीबी प्रतिवदीगण स० 2 ता 8 प्रविताादीगण स० 2 ता 8 आठो आराजी जरई ०न० 1398 /2 की तादादी 1.972 हैक्टयर वाके रोही मोजा कानसर तहसीलदार के मुताबिक हक व हिस्सा मुश्तरका खातेदारी काश्तकार है। इसी अनुसार वाद वादी डिकी किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 पेरोकार राज द्वारा जवाब पेश किया गया की साबिका खसरा व वर्तमान ख0न0 का मिलान नही हो रहा है वादी उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत ही किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है एवं उक्त भूमि सैटलमेंट विभाग द्वारा आवंटित है जिसकी खातेदारी किया जाना उचित नही है।

वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणित जमाबंदी स0 2010 ता 13 रोही मौजा कानसर, प्रमाणित जमाबंदी कानसर, चित्रप्रति भू अभिलेख निरीक्षण, चित्रप्रति पर्चा लगान भू अभिलेख, प्रमाणित जमाबंदी सम्वब 2071 ता 74 पेश किये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 2 ता 8 के पिता व पति रावताराम पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर की सम्बत 2012 से पूर्व की 2012 से ही मौजा कानसर तहसील नोहर के ख0न0 229 मीन व 251 मिन में 37–38 बीघा भूमि नोतोड करदा व कब्जा काश्त की भूमि है जिसका वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 के लागु होने के समय से काश्तकार था तथा उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है तथा उक्त भूमि तभी से उसके कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा पैमाइश सम्बत 2020 मे मौका पर पैमाईश कर रावताराम पुत्र तिलोकाराम को पर्चा लगान व पर्चा प्रमाणकन जारी कर दिया था तथा रावताराम पुत्र तिलोकाराम जाट निवासी सुजनसर फौत होने के बाद उसके वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 2 ता 8 के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा वे उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके है। उपरोक्त भूमि हाल ख0न0 1398 की 10 बीघा 04 बिस्वा ख0न0 1401 की 11 बीघा 09 बिस्वा व ख0न0 1402 [illegible] खसरा नम्बर 1403 की 4 बीघा 07 बिस्वा वाके रोही मौजा कानसर तहसील नोहर [illegible] हो चुकी है। उपरोक्त भूमि हाल ख०न० 1398/1 की 2.08 बीघा, 4 ख0न0 1399 [illegible] 8 बीघा, ख0न0 1401 की 11 बीघा 09 बिस्वा व खसरा न0 1402 की 4 बीघा 13 बिस्वा ख[illegible] 1404 की 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि को तो वादी व उसके भाईयों के नाम खातेदारी दर्ज कर दी मगर हाल ख0न0 1398 की 1.972

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:18:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नोहर Rahul

हैक्ट, वाके रोही मोजा कानसर तहसील नोहर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 2 ता 8 के पिता व पति के नाम खातेदारी दर्ज ना कर कतई गलत बिना अधिकार वादग्रस्त भूमि गैरखातेदारी दर्ज कर दी जिससे वादी व तरतीबी प्रतिवादी स० 2 ता 8 के खातेदारी हकुक का हनन होता है और जिससे वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 2 ता 8 अपने खातेदारी हकुक की घोषणा करवाकर जमाबन्दी दुरूस्त करा वादग्रस्त भूमि बजाय गैरखातेदारी के बतौर खातेदार काश्तकार अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की साबिका खसरा व वर्तमान ख0न0 का मिलान नही हो रहा है वादी उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत ही किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है एवं उक्त भूमि सैटलमेंट विभाग द्वारा आवंटित है जिसकी खातेदारी किया जाना उचित नही है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रावताराम के नाम दर्ज है वादी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान जमाबंदी व साबिका ख0न0 का मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से स्पष्ट है कि मिलान नही हो रहा है एवं तहसीलदार नोहर द्वारा प्रस्तुंत रिपोर्ट के मुताबिक साबिका खसरा व वर्तमान ख0न0 का मिलान नही हो रहा है वादी उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत ही किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है एवं उक्त भूमि सैटलमेंट विभाग द्वारा आवंटित है जिसकी खातेदारी किया जाना उचित नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर स्वीकार योग्य नही होने के कारणा खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:18:11 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 150/2016
अनवान : –

1. ईशरराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. लाधुराम 3. भजनाराम 4. भागीरथ पि0 रावताराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
5. सजना पत्नी स्व0 रावताराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहरं
6. फुसी 7. श्योकोरी 8. चुन्नी पुत्रीयान रावताराम जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 150 सन 2016 निर्णय दिनांक 26/08/2025

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजय सिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/08/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:18:11 IST
Reason: SelfAttested